28 मार्च 2024

शामिल विषय

1. **पुजारी सीएए पात्रता प्रमाणित कर सकते हैं, सरकार का कहना है। हेल्पलाइन (जीएस पेपर II: नागरिकता)**
2. **मानवीय सहायता की राजनीति (जीएस पेपर II: आईआर)**
3. **समय पर पुनर्कथन: मीडिया और न्यायालय के आदेश के खिलाफ पूर्व-परीक्षण निषेधाज्ञा पर (जीएस पेपर II: भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता)**
4. **डब्ल्यूटीओ की निवेश सुविधा वार्ता अवैध नहीं है (जीएस पेपर III: बाहरी क्षेत्र)**
5. **चीन-ताइवान संघर्ष को रोकना (जीएस पेपर II:आईआर)**
6. **तेलंगाना की राजकोषीय चुनौती (जीएस पेपर III: राजकोषीय घाटा)**
7. **सतत भवन (जीएस पेपर III: पर्यावरण)**
8. **रोहिंग्या शरणार्थी (जीएस पेपर II: आईआर)**

पुजारी सीएए पात्रता प्रमाणित कर सकते हैं, सरकार का कहना है। हेल्पलाइन (जीएस पेपर II: नागरिकता)

- नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की हेल्पलाइन से द हिंदू को मिली प्रतिक्रिया के अनुसार, एक स्थानीय पुजारी आवेदक के धर्म को मान्य करने के लिए "पात्रता प्रमाण पत्र" जारी कर सकता है।

- यह प्रमाणपत्र अनिवार्य है और इसे सीएए पोर्टल पर अपलोड किए जाने वाले शपथ पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।
- आवेदकों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के इच्छुक कारणों को भी बताना आवश्यक है।
- सीएए के कार्यान्वयन को सक्षम करने के लिए मंत्रालय द्वारा 11 मार्च को नागरिकता संशोधन नियम, 2024 को अधिसूचित किया गया था।
- 21 मार्च को मंत्रालय द्वारा सीएए के संबंध में सहायता और जानकारी प्रदान करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर (1032) लॉन्च किया गया था। यह हेल्पलाइन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक संचालित होती है और भारत में कहीं से भी मुफ्त कॉल की सुविधा देती है।
- प्रमाणपत्र "स्थानीय रूप से प्रतिष्ठित सामुदायिक संस्थान" द्वारा जारी किया जाना चाहिए।
- जब द हिंदू ने प्रमाणपत्र के प्रारूप के बारे में पूछताछ करने के लिए 26 मार्च को हेल्पलाइन से संपर्क किया, तो उत्तरदाता ने कहा कि यह कागज की एक खाली शीट पर या न्यायिक कागज पर ₹10 के स्टांप मूल्य के साथ हो सकता है।
- यह भी उल्लेख किया गया था कि किसी भी स्थानीय पुजारी (पुजारी) को प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कहा जा सकता है।

अंतिम अधिकार

- जब नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) नियम अधिसूचित किए गए, तो मंत्रालय ने उस प्राधिकरण या निकाय को निर्दिष्ट नहीं किया जो पात्रता प्रमाण पत्र जारी कर सकता है।
- एक सूत्र के मुताबिक, कोई भी संस्थान जिस पर लोगों का भरोसा हो, वह सर्टिफिकेट जारी कर सकता है।
- नागरिकता देने पर अंतिम निर्णय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा किया जाएगा, स्थानीय संस्था केवल आवेदनों की अनुशंसा करेगी।
- दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद, डाक विभाग के अधीक्षक की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समिति द्वारा आवेदनों की समीक्षा की जाएगी।
- आवेदकों को व्यक्तिगत रूप से दस्तावेज़ सत्यापन के लिए निर्दिष्ट दिन पर इस समिति का दौरा करना होगा।
- आवेदनों पर अंतिम निर्णय प्रत्येक राज्य में निदेशक (जनगणना संचालन) की अध्यक्षता वाली अधिकार प्राप्त समिति द्वारा किया जाएगा।
- सीएए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों से संबंधित गैर-दस्तावेज व्यक्तियों के लिए नागरिकता प्रक्रिया को तेजी से ट्रैक करता है, जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं।
- मजनू का टीला इलाके में रहने वाले लगभग 100 पाकिस्तानी हिंदुओं ने अब तक नागरिकता के लिए पोर्टल पर पंजीकरण कराया है।
- उनमें से कुछ ने आर्य समाज मंदिर से और अन्य ने पास के शिव मंदिर से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त किया।
- प्रमाणपत्र जारी करने वाले व्यक्ति को अपना नाम और पता निर्दिष्ट करना होगा और पुष्टि करनी होगी कि आवेदक तीन देशों के छह निर्दिष्ट समुदायों में से एक से है और उन्हें जानता है।
- उन्हें प्रमाणित करना होगा कि आवेदक निर्दिष्ट समुदाय का सदस्य बना रहेगा।
- सीएए निर्दिष्ट समुदायों से संबंधित गैर-दस्तावेजी व्यक्तियों के लिए नागरिकता की सुविधा प्रदान करता है।

केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिकी टिप्पणी पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई (जीएस पेपर II: आईआर)

- भारत ने भ्रष्टाचार के एक मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के संबंध में अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता द्वारा की गई टिप्पणी पर "कड़ी आपत्ति" व्यक्त करने के लिए एक अमेरिकी राजनयिक को तलब किया।
- विदेश मंत्रालय ने साथी लोकतंत्रों के बीच एक-दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने के महत्व पर जोर दिया और भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका पर प्रकाश डाला।
- भारत ने भारत में कानूनी कार्यवाही के बारे में अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता की टिप्पणियों पर आपत्ति जताई, जिसमें कहा गया कि कूटनीति के लिए राज्यों को एक-दूसरे की संप्रभुता और आंतरिक मामलों का सम्मान करना आवश्यक है।
- विदेश विभाग के प्रवक्ता ने आशा व्यक्त की थी कि श्री केजरीवाल के मामले को "समय पर कानूनी प्रक्रिया" के माध्यम से निपटाया जाएगा और एक निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर कानूनी प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- भारत ने अपनी कानूनी प्रक्रियाओं का बचाव करते हुए कहा कि वे वस्तुनिष्ठ और समयबद्ध परिणामों के लिए प्रतिबद्ध एक स्वतंत्र न्यायपालिका पर आधारित हैं, और इस पर आरोपों को अनुचित बताते हुए इसकी आलोचना की।

अमेरिकी अधिकारी को तलब किया गया

- ग्लोरिया बर्बेना को बुधवार को नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में 40 मिनट की बैठक के लिए बुलाया गया था।
- भारत के सख्त सम्मन के बावजूद, अमेरिका ने बुधवार को वाशिंगटन में अपनी ब्रीफिंग के दौरान अपनी चिंताओं को दोहराया।
- अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता, मैथ्यू मिलर ने उल्लेख किया कि अमेरिका चुनाव से पहले भारत सरकार के कार्यों का "नज़र रखना" जारी रखेगा।
- मिलर ने कर अधिकारियों द्वारा फ्रीज किए गए बैंक खातों के संबंध में कांग्रेस पार्टी के आरोपों को संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिका ऐसे मुद्दों के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर कानूनी प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करता है।
- अमेरिका ने एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए एक पत्रकार के सवाल के जवाब में निष्पक्ष कानूनी प्रक्रियाओं के महत्व पर जोर दिया।

अंतराष्ट्रिय क्षमा

महत्वपूर्ण तथ्यों

- **स्थापित:** 1961, लंदन
- **मुख्यालय:** लंदन, यूनाइटेड किंगडम
- **महासचिव:** एग्नेस कैलामार्ड
- **नोबेल शांति पुरस्कार:** 1977 में प्रदान किया गया

- **एक वैश्विक आंदोलन:** दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक लोग एक ऐसी दुनिया के लिए अभियान चला रहे हैं जहां सभी को मानवाधिकारों का आनंद मिले।
- **गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ):** किसी भी सरकार, राजनीतिक विचारधारा, आर्थिक हित या धर्म से स्वतंत्र।
- **विज़न: एक ऐसी दुनिया जहां प्रत्येक व्यक्ति को मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा और अन्य अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार मानकों** में निहित सभी मानव अधिकारों का आनंद मिलता है ।

केंद्र बिंदु के क्षेत्र

एमनेस्टी इंटरनेशनल अपना काम कई मानवाधिकार मुद्दों पर केंद्रित करता है, जिनमें शामिल हैं:

- **महिलाओं, बच्चों, अल्पसंख्यकों और स्वदेशी अधिकार**
- **अत्याचार ख़त्म करना**
- **मृत्युदंड का उन्मूलन**
- **शरणार्थियों के अधिकार**
- **अंतरात्मा के कैदियों के अधिकार**
- **मानवीय गरिमा की सुरक्षा**

वे कैसे काम करते हैं

- **अनुसंधान और जांच:** एमनेस्टी दुनिया भर में मानवाधिकारों के हनन की सावधानीपूर्वक जांच करती है और उसका दस्तावेजीकरण करती है।
- **लामबंदी:** वे याचिकाओं, पत्र-लेखन अभियानों, विरोध प्रदर्शनों और दबाव के अन्य रूपों के माध्यम से कार्रवाई करने के लिए सदस्यों, समर्थकों और जनता को संगठित करते हैं।
- **वकालत:** एमनेस्टी मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाली नीतियों और प्रथाओं को बदलने के लिए सरकारों, कंपनियों और अंतर सरकारी संगठनों की वकालत करती है।

मानवीय सहायता की राजनीति (जीएस पेपर II: आईआर)

दुनिया भर में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां राजनीति मानवीय सहायता को मात दे रही है, भले ही इसके लिए राजनीतिक या सैन्य लक्ष्यों को हासिल करने के लिए लाखों लोगों को भूखा रखना पड़े।

- **अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि गाजा की 100% आबादी गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रही है** , जो मानवीय सहायता में अभूतपूर्व वर्गीकरण है।
- इस चिंताजनक स्थिति के बावजूद, अमेरिकी कांग्रेस ने **मार्च 2025 तक संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (यूएनआरडब्ल्यूए) को फंडिंग रोकने का फैसला किया है** ।
- **यूएनआरडब्ल्यूए प्राथमिक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जो** विभिन्न क्षेत्रों में लाखों फिलिस्तीनी शरणार्थियों को महत्वपूर्ण मानवीय सहायता प्रदान करती है।
- यूएनआरडब्ल्यूए को धन न देने के फैसले को **एक राजनीतिक कदम के रूप में देखा जा सकता है, जो संभावित रूप से फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मान्यता को रद्द कर रहा है और उनकी वापसी के अधिकार को कमजोर कर रहा है** , जो फिलिस्तीनी राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

- कुछ पश्चिमी देशों ने पहले इजरायली आरोपों के आधार पर यूएनआरडब्ल्यूए को निधि से वंचित कर दिया था, लेकिन अब वे अपने रुख पर पुनर्विचार कर रहे हैं क्योंकि ये आरोप निराधार प्रतीत होते हैं।
- **यूएनआरडब्ल्यूए को धन मुहैया कराने से लाखों लोगों की जान की कीमत पर भी राजनीतिक या सैन्य लक्ष्य पूरे हो सकते हैं** , जो मानवीय सहायता में भू-राजनीति की भूमिका का उदाहरण है।

यूएनआरडब्ल्यूए

- **शासनादेश: संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी विशेष रूप से फ़िलिस्तीनी शरणार्थियों को मानवीय सहायता और विकास सहायता प्रदान करने के लिए 1949 में बनाया गया** ।
- **फंडिंग:** यूएनआरडब्ल्यूए को मुख्य रूप से **संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के स्वैच्छिक योगदान से वित्त पोषित किया जाता है** ।
- **परिचालन क्षेत्र:** यूएनआरडब्ल्यूए पांच क्षेत्रों में काम करता है: जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, गाजा और वेस्ट बैंक (पूर्वी येरुशलम सहित)।

मुख्य भूमिकाएँ और सेवाएँ

- संकटों और कठिनाई की चल रही स्थितियों के दौरान आपातकालीन भोजन और नकद सहायता, आश्रय और महत्वपूर्ण राहत प्रदान करता है।
- **मूल सेवाएं:**
  - **शिक्षा:** मध्य पूर्व में सबसे बड़ी स्कूल प्रणालियों में से एक का संचालन करता है, जो फिलिस्तीनी शरणार्थी बच्चों को बुनियादी शिक्षा प्रदान करता है।
  - **हेल्थकेयर:** प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल क्लीनिकों का एक नेटवर्क चलाता है, जो निवारक और उपचारात्मक सेवाएं प्रदान करता है।
  - **सामाजिक सेवाएँ:** सामाजिक सुरक्षा और आजीविका कार्यक्रमों के माध्यम से सबसे कमजोर शरणार्थियों की सहायता करती है।
  - **शिविर अवसंरचना:** फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविरों में बुनियादी ढांचे के विकास, स्वच्छता और सुधार का समर्थन करता है।

- यह स्थिति गाजा से आगे तक फैली हुई है और फिलिस्तीनी-इजरायल संघर्ष में व्यापक राजनीतिक तनाव और अनसुलझे मुद्दों को रेखांकित करती है।

गाजा एक घाट की प्रतीक्षा कर रहा है

- अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए गाजा तट **पर एक अस्थायी घाट बनाने की योजना की घोषणा की।**
- स्थिति इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे राजनीति जरूरतमंद आबादी को सहायता भेजने के सरल कार्यों में बाधा डाल सकती है।
- भूमि मार्ग से सहायता काफिलों को अनुमति देने के बजाय, इज़राइल ने उन्हें गुजरने की अनुमति नहीं दी, जिसके कारण अमेरिका को **भोजन के पैकेटों को हवाई मार्ग से गिराने का सहारा लेना पड़ा** ।
- **दुखद बात यह है कि इजरायली सैनिकों ने 112 फिलिस्तीनियों की गोली मारकर हत्या कर दी और सैकड़ों लोग घायल हो गए जो सहायता की प्रतीक्षा कर रहे थे** , **जबकि बारह लोग समुद्र में गिरे पैकेटों को निकालने की कोशिश में डूब गए** ।
- **संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने राफा में दृश्य को "नैतिक आक्रोश" बताया।** मानवीय संकट पर जोर देते हुए।
- रोकना **अंतरराष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन है और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अंतरिम आदेश के खिलाफ है** , जो गाजा को "प्रभावी और तत्काल" सहायता का आदेश देता है।
- यह स्थिति गाजा में फिलिस्तीनियों को मानवीय सहायता वितरण की सुविधा के लिए एक घाट की सख्त आवश्यकता को रेखांकित करती है।

- को **, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें रमज़ान के दौरान तत्काल युद्धविराम का आह्वान किया गया** , जिसका लक्ष्य एक स्थायी स्थायी युद्धविराम और मानवीय पहुंच और बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करना था।
- संयुक्त **राज्य अमेरिका मतदान से अनुपस्थित रहा** ।
- संयुक्त राष्ट्र में फ्रांसीसी राजदूत ने चेतावनी दी कि संकट अभी खत्म नहीं हुआ है और रमज़ान के बाद स्थायी युद्धविराम स्थापित किया जाना चाहिए।
- इस बारे में संदेह है कि क्या इज़राइल प्रस्ताव का सम्मान करेगा और युद्धविराम का पालन करेगा या मानवीय सहायता की अनुमति देगा।
- **हमास फ़िलिस्तीनी क़ैदियों की अदला-बदली इज़रायली बंधकों** , चाहे वे जीवित हों या मृत, के बदले में करना चाहता है, जिससे यह चिंता बढ़ गई है कि इज़रायल इस अदला-बदली के बाद और रमज़ान के बाद युद्ध फिर से शुरू कर सकता है।
- अमेरिका **ने प्रस्ताव को "गैर-बाध्यकारी" करार दिया , जो संभावित रूप से इज़राइल को अपने बमबारी अभियान जारी रखने की अनुमति देता है** ।
- **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के बावजूद, गाजा में फिलिस्तीनियों को मानवीय सहायता राजनीतिक कारकों के कारण अनिश्चित बनी हुई है** ।

जब भारत ने भेजी सहायता

- भारत के **द्रविड़ मुनेत्र** मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि के नेतृत्व वाली **कज़गम (डीएमके) सरकार ने 2008 में विस्थापित श्रीलंकाई तमिल नागरिकों को भोजन और कपड़ों के 80,000 "पारिवारिक पैकेट" भेजे** ।
- सहायता का उद्देश्य **श्रीलंकाई तमिलों के साथ एकजुटता दिखाना था** , जिन्हें **पीछे हटने वाले लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (एलटीटीई) द्वारा मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था** ।
- वितरण सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार ने रेड क्रॉस **की अंतर्राष्ट्रीय समिति से वितरण को संभालने का अनुरोध किया** ।
- **2022 में, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और करुणानिधि के बेटे एमके स्टालिन ने आर्थिक संकट के दौरान श्रीलंका को लगभग 10,000 टन भोजन और चिकित्सा सहायता भेजी** ।
- इस सहायता ने श्रीलंकाई तमिलों के लिए तमिलनाडु के निरंतर समर्थन को प्रदर्शित किया।
- **कोविड-19 महामारी के दौरान, भारत ने दयालु कूटनीति का** प्रदर्शन करते हुए 100 से अधिक देशों को टीके भेजे और पश्चिम में टीके की कमी के बावजूद जरूरतमंद देशों के साथ एकजुटता।

अफ़ग़ानिस्तान का मामला

- जब भारत 2021 से 2022 तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) का सदस्य था, तो उसने सहायता को एक राजनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल होते देखा।
- **दिसंबर 2021 में, तालिबान के साथ जुड़ने के लिए पी-5 और अन्य लोगों के दबाव में, यूएनएससी महिलाओं के अधिकारों पर कोई प्रगति किए बिना तालिबान को मानवीय सहायता प्रदान करने पर सहमत हुई** ।
- **सहायता के बावजूद, अफगान महिलाओं की स्थिति दो वर्षों में खराब हो गई** ।
- **सीरिया, इथियोपिया, यमन और सूडान जैसे संघर्षों में राजनीति अक्सर मानवीय चिंताओं पर हावी रही है** ।
- सीरिया में, पश्चिमी और खाड़ी समर्थक उत्तरी सीरिया में तैनात अपने सैनिकों के माध्यम से सहायता को नियंत्रित करते हैं।

- इथियोपिया में, टाइग्रे पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट (टीपीएलएफ) के समर्थन के कारण सरकार पर दबाव बनाने के लिए सहायता का उपयोग किया गया था।
- **सूडान को आंतरिक संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है,** आवश्यक सहायता राशि का केवल 5% ही पूरा किया जा सका है, जिससे लाखों लोग जरूरतमंद रह गए हैं।
- **दुनिया भर में, लोग पीड़ित हैं जबकि नेता उनकी भलाई पर राजनीति को प्राथमिकता देते हैं, जिससे कई लोग भोजन और दवा जैसी आवश्यक सहायता के लिए इंतजार कर रहे हैं** ।

मुख्य अभ्यास प्रश्न: जीएस पेपर II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध

प्रश्न: दुनिया भर के विभिन्न संघर्षों के उदाहरण देते हुए मानवीय सहायता वितरण में राजनीतिक विचारों की भूमिका पर चर्चा करें। (250 शब्द/15 अंक)

उत्तर दृष्टिकोण

- गाजा में मानवीय स्थिति की हालिया प्रासंगिक पृष्ठभूमि के साथ उत्तर का परिचय दें।
- फिर हाल की ऐसी घटनाओं जैसे अफ़्रीकी देशों, अफ़ग़ानिस्तान से ऐसे उदाहरण लाएँ।
- साथ ही, संयुक्त राष्ट्र की वैधता पर निहितार्थ भी सामने लायें।
- तदनुसार निष्कर्ष निकालें

उत्तर

अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के अनुसार, गाजा की 100% आबादी गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रही है, जो मानवीय सहायता में अभूतपूर्व वर्गीकरण है। इस चिंताजनक स्थिति के बावजूद, अमेरिकी कांग्रेस ने मार्च 2025 तक संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (यूएनआरडब्ल्यूए) को फंडिंग रोकने का फैसला किया है। मानवीय सहायता वितरण अक्सर राजनीतिक विचारों में उलझ जाता है, जिससे जरूरतमंद लोगों को समय पर और प्रभावी सहायता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण चुनौतियां पैदा होती हैं। .

गाजा संकट:

- गाजा की पूरी आबादी को प्रभावित करने वाली गंभीर खाद्य असुरक्षा के बावजूद, राजनीतिक कारकों ने मानवीय प्रयासों में बाधा उत्पन्न की है।
- फ़िलिस्तीनी शरणार्थियों को सहायता प्रदान करने वाली प्राथमिक एजेंसी UNRWA को फंडिंग रोकने का अमेरिकी कांग्रेस का निर्णय राजनीतिक प्रेरणा को दर्शाता है।
- सहायता निधि को रोकना राजनीतिक एजेंडे को पूरा कर सकता है, संभावित रूप से लाखों फिलिस्तीनियों के अधिकारों और कल्याण को कमजोर कर सकता है।

अफगानिस्तान:

- महिलाओं के अधिकारों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित किए बिना, तालिबान को मानवीय सहायता प्रदान करने का यूएनएससी का निर्णय राजनीतिक समझौतों को दर्शाता है।
- प्रदान की गई सहायता के बावजूद, अफगान महिलाओं की स्थिति खराब हो गई है, जो मानवीय चिंताओं पर राजनीतिक हितों की प्राथमिकता को उजागर करती है।

सीरिया, इथियोपिया, यमन और सूडान:

- सीरिया, इथियोपिया, यमन और सूडान सहित विभिन्न संघर्षों में, राजनीतिक हित अक्सर मानवीय अनिवार्यताओं पर हावी हो जाते हैं।
- सहायता वितरण का राजनीतिकरण किया जा सकता है, कुछ दल वितरण चैनलों को नियंत्रित करते हैं और अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए सहायता का उपयोग उत्तोलन के रूप में करते हैं।
- यमन और सूडान जैसे आंतरिक संघर्ष मानवीय संकट को बढ़ाते हैं, क्योंकि सीमित सहायता राशि लाखों प्रभावित लोगों की जरूरतों को पूरा करने में विफल रहती है।

इस प्रकार, राजनीति अक्सर मानवीय सहायता वितरण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे दुनिया भर में संघर्षों और संकटों में फंसे लाखों लोगों के जीवन पर असर पड़ता है। जबकि मानवीय सिद्धांत निष्पक्षता और मानव कल्याण को प्राथमिकता देने का आह्वान करते हैं, कभी-कभी राजनीतिक हितों को

प्राथमिकता दी जाती है, जिससे समय पर और प्रभावी सहायता प्रदान करने में चुनौतियाँ पैदा होती हैं। इस प्रकार हमें दयालु कूटनीति की आवश्यकता है, जैसा कि भारत द्वारा श्रीलंकाई तमिलों और अन्य देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने में देखा गया है, जिसमें कोविड-19 महामारी भी शामिल है, जो दयालु कूटनीति के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

समय पर पुनर्कथन: मीडिया और न्यायालय के आदेश के विरुद्ध पूर्व-परीक्षण निषेधाज्ञा पर (जीएस पेपर II: बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता)

सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकारिता सामग्री पर प्री-ट्रायल प्रतिबंध के खिलाफ मामला बनाया है

- सुप्रीम **कोर्ट ने हाल ही में एक आदेश जारी किया है मानहानि के सिविल मुकदमों में मीडिया के खिलाफ सुनवाई-पूर्व निषेधाज्ञा देने के प्रति अदालतों को आगाह करना** ।
- यह आदेश एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि **इस तरह के निषेधाज्ञा बोलने की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर सकती हैं और जनता के जानने के अधिकार को ख़राब कर सकती हैं** ।
- न्यायालय **ने दिल्ली की निचली अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसकी पुष्टि दिल्ली उच्च न्यायालय ने की थी, जिसमें समाचार आउटलेट ब्लूमबर्ग को ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड से संबंधित एक कथित मानहानिकारक लेख को हटाने का निर्देश दिया गया था** ।
- सुप्रीम **कोर्ट ने अंतरिम निषेधाज्ञा देने के लिए मानक तीन गुना परीक्षण दोहराया:**
    - **क्या प्रथम दृष्टया कोई मामला है।**
    - **क्या 'सुविधा का संतुलन' अंतरिम रोक का पक्षधर है ।**
    - **क्या निषेधाज्ञा नहीं देने से वादी को "अपूरणीय क्षति या नुकसान" होगा।**
- **संवैधानिक आदेश के रूप में पत्रकारिता की अभिव्यक्ति की रक्षा** के महत्व पर जोर दिया ।
- न्यायालय ने अदालतों को तथ्यों के उचित विश्लेषण के बिना परीक्षण के तीन अंगों को यांत्रिक रूप से लागू करने के प्रति आगाह किया।
- **निषेधाज्ञा देने वाले न्यायालयों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने निर्णयों के कारणों को रिकॉर्ड करें** ।
- हैं **जो पत्रकारिता प्रकाशनों को प्रतिबंधित करते हैं** :
    - **एकमुश्त चुप रहने के आदेश:** चल रहे अदालती मामलों से संबंधित किसी भी जानकारी के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाएं।
    - **सर्वग्राही पूर्व प्रतिबंध आदेश : वादी के मानहानि की पुनरावृत्ति के डर के** आधार पर सभी मीडिया घरानों को प्रकाशन से प्रतिबंधित करें ।
    - **विशिष्ट मीडिया हाउसों को प्री-ट्रायल आदेश** : उनसे **लेखों को हटाने और आगे के प्रकाशन को रोकने की अपेक्षा करें** ।

- **बोनार्ड बनाम पेरीमैन** में स्थापित सामान्य कानून सिद्धांत के विपरीत हैं :

    - मानहानि के मुकदमों में निषेधाज्ञा की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब सामग्री मानहानिकारक हो और परीक्षण के दौरान इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता हो, जैसे कि सत्य और सार्वजनिक हित साबित करना।

- न्यायालय के हालिया आदेश में **सार्वजनिक भागीदारी के विरुद्ध रणनीतिक मुकदमेबाजी/मुकदमे (एसएलएपीपी) के बारे में भी चेतावनी दी गई है** :

- SLAPP प्रभावशाली और आर्थिक रूप से शक्तिशाली संस्थाओं द्वारा अपनी परियोजनाओं और कंपनियों की सार्वजनिक आलोचना को चुप कराने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक रणनीति है।

- अदालत इस बात पर जोर देती है कि **लंबे समय तक चलने वाले मुकदमों में शीघ्र निषेधाज्ञा देने से प्रकाशित होने वाली सामग्री प्रभावी रूप से खत्म हो जाती है, जो 'मौत की सजा' के समान है** ।

जहरीले शब्द: राजनीति और महिला राजनेताओं में विमर्श पर

महिलाओं को अपनी उन्नति में आने वाली बाधाओं को स्वयं दूर करना चाहिए

- **कांग्रेस सोशल मीडिया प्रभारी सुप्रिया श्रीनेत ने** अभिनेता कंगना रनौत के बारे में एक अपमानजनक टिप्पणी पोस्ट की, जिसे बाद में हटा दिया गया है।
- माफी मांगने के बजाय, श्रीनेत ने यह कहकर अपना बचाव किया कि कई लोगों के पास उसके फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट तक पहुंच है, जिसका अर्थ है कि किसी और ने अनुचित पोस्ट किया है।
- हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा के टिकट पर अपना पहला चुनाव लड़ रहीं कंगना रनौत ने श्रीनेत की टिप्पणी की आलोचना की।
- रनौत ने महिलाओं को पूर्वाग्रहों से मुक्त करने और यौनकर्मियों के चुनौतीपूर्ण जीवन को अपमान के रूप में नहीं इस्तेमाल करने के महत्व पर जोर दिया।
- इस घटना ने महत्वपूर्ण आम चुनाव से पहले एक राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है, **जिससे चुनावी बांड घोटाला, बढ़ती बेरोजगारी और गरीबों की परेशानी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे दब गए हैं।**
- पोस्ट के लिए दूसरों को दोषी ठहराने की श्रीनेट की कोशिश उनके बताए गए मूल्यों के विपरीत है, खासकर महिलाओं के मुद्दों के संबंध में।
- सहकर्मी पवन खेड़ा का स्पष्टीकरण कि श्रीनेत "कभी भी ऐसी भाषा का सहारा नहीं ले सकती" विश्वसनीय नहीं है क्योंकि आपत्तिजनक टिप्पणी उनके नाम के तहत दिखाई गई थी।
- **चुनावी टिकट पाने वाली एक साथी महिला अभिनेता के खिलाफ अपनी पिछली टिप्पणियों को देखते हुए, कंगना रनौत को अपमानजनक टिप्पणी करने से बचना चाहिए** ।
- महिलाओं को घर और कार्यस्थल दोनों जगह चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति बाधित होती है।
- **भारत ने महिलाओं के लिए 33% विधायी सीटें आरक्षित करने के लिए पिछले साल एक कानून पारित किया था, लेकिन कार्यान्वयन की कोई समय सीमा नहीं है।**
- **भाजपा, कानून की देखरेख के बावजूद, महिला उम्मीदवारों के लिए 33% के आंकड़े तक पहुंचने के करीब नहीं पहुंच पाई है** ।
- **जब महिला आरक्षण विधेयक, 2023 पारित किया गया तो केवल 14% लोकसभा विधायक महिलाएं थीं, जो वैश्विक औसत से काफी कम थी** ।
- हिमाचल प्रदेश में केवल एक महिला लोकसभा सांसद है, जो राजनीति में महिलाओं के सीमित प्रतिनिधित्व का संकेत देती है।
- नीति निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि उनकी जरूरतों पर विचार किया जाए और उनका समाधान किया जाए।
- महिलाओं के लिए यह जरूरी है कि वे अपनी राह को और कठिन बनाने के बजाय अपनी प्रगति में आने वाली बाधाओं को दूर करने की दिशा में काम करें।

डब्ल्यूटीओ की निवेश सुविधा वार्ता अवैध नहीं है (जीएस पेपर III: बाहरी क्षेत्र)

भारत को विकास समझौते के लिए निवेश सुविधा जैसे बहुपक्षीय समझौतों के प्रति अपने रक्षात्मक दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करना चाहिए

- **अबू धाबी में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (एमसी13) में** विकास **के लिए निवेश सुविधा (आईएफडी) पर** समझौते के संबंध में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ ।
- आईएफडी समझौता, **जिसका उद्देश्य निवेश प्रवाह को सुविधाजनक बनाना है** , 2017 में संयुक्त वक्तव्य पहल नामक एक प्रक्रिया के माध्यम से शुरू किया गया था, जिसमें 70 देशों ने भाग लिया था।
- भारत जैसे देशों के विरोध के बावजूद, IFD समझौते के लिए बातचीत जारी रही और नवंबर 2023 में इसे अंतिम रूप दिया गया।
- वर्तमान में, **166 डब्ल्यूटीओ सदस्य देशों में से लगभग 120 (सदस्यता का 70% से अधिक) आईएफडी समझौते का समर्थन करते हैं** ।
- **ये 120 देश आईएफडी समझौते को डब्ल्यूटीओ समझौते के अनुबंध 4 के भीतर एक बहुपक्षीय समझौते (पीए) के रूप में शामिल करना चाहते थे** ।
- जबकि **डब्ल्यूटीओ मुख्य रूप से एक बहुपक्षीय व्यापार संगठन है** , **डब्ल्यूटीओ समझौते का अनुच्छेद II.3 बहुपक्षीय समझौते (पीए) स्थापित करने की अनुमति देता है** ।
- **आईएफडी समझौते जैसे बहुपक्षीय समझौते केवल उन डब्ल्यूटीओ सदस्य देशों को बाध्य करते हैं जो उन्हें स्वीकार करना चुनते हैं और शेष सदस्यों पर दायित्व नहीं थोपते हैं** ।

विश्व व्यापार संगठन

- **मुख्यालय:** जिनेवा, स्विट्जरलैंड
- **स्थापित:** 1 जनवरी, 1995
- **सदस्यता:** 164 सदस्य देश (आज तक)
- **महानिदेशक:** डॉ. नगोजी ओकोन्जो -इवेला

- **WTO राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों से निपटने वाला एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।** इसका प्राथमिक लक्ष्य व्यापार को सुचारू, निष्पक्ष, पूर्वानुमानित और यथासंभव स्वतंत्र रूप से प्रवाहित करने में मदद करना है।
- व्यापार समझौतों पर बातचीत करने के लिए सरकारों के लिए एक मंच।
- सदस्य सरकारों के लिए व्यापार विवादों को निपटाने का स्थान।
- व्यापार नियमों की एक प्रणाली संचालित करता है।

महत्वपूर्ण कार्यों

- **डब्ल्यूटीओ व्यापार समझौतों का प्रशासन:** डब्ल्यूटीओ समझौते अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए आवश्यक कानूनी ढांचा बनाते हैं।
- **व्यापार वार्ता के लिए मंच:** डब्ल्यूटीओ वह जगह है जहां सदस्य सरकारें व्यापार को और उदार बनाने के लिए नए व्यापार समझौतों पर चर्चा और बातचीत करती हैं।
- **व्यापार विवादों को संभालना:** एक तटस्थ विवाद निपटान तंत्र सदस्यों के बीच व्यापार असहमति को हल करने में मदद करता है।
- **राष्ट्रीय व्यापार नीतियों की निगरानी:** नियमित समीक्षाओं के माध्यम से, डब्ल्यूटीओ यह सुनिश्चित करता है कि सदस्यों की व्यापार नीतियां पारदर्शी और समझौतों की सीमा के भीतर रहें।
- **विकासशील देशों के लिए तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण:** डब्ल्यूटीओ विकासशील देशों को वैश्विक व्यापार प्रणाली में बेहतर ढंग से एकीकृत होने में मदद करता है।

- **अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग:** डब्ल्यूटीओ उन मुद्दों के समाधान के लिए अन्य वैश्विक संगठनों के साथ काम करता है जहां व्यापार विकास और पर्यावरण जैसे अन्य क्षेत्रों से जुड़ता है।

भारत की चिंताएं

- आईएफडी समझौते का उद्देश्य विदेशी निवेश प्रवाह को प्रोत्साहित करने के लिए नियामक पारदर्शिता को बढ़ाना और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना है।
- हालाँकि, **समझौते में बाज़ार पहुंच, निवेश सुरक्षा, या निवेशक-राज्य विवाद निपटान (आईएसडीएस) पर प्रावधान शामिल नहीं हैं** ।
- **आईएसडीएस पर विवाद:** आईएसडीएस विदेशी निवेशकों को मेजबान राज्यों के खिलाफ दावा दायर करने की अनुमति देता है, लेकिन इसे डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटान तंत्र में एकीकृत करना अव्यावहारिक माना जाता है।
- **भारत की चिंताएँ:** भारत ने, दक्षिण अफ्रीका के साथ, IFD समझौते को WTO की नियम पुस्तिका में शामिल होने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- **भारत की मुख्य चिंताएँ क्या निवेश डब्ल्यूटीओ का हिस्सा होना चाहिए और डब्ल्यूटीओ की नियम पुस्तिका में आईएफडी समझौते को शामिल करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के** इर्द-गिर्द घूमता है ।

निवेश व्यापार नहीं है

- भारत का तर्क है कि निवेश को डब्ल्यूटीओ का हिस्सा नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि यह व्यापार से अलग है।
- **सीमा पार व्यापार** : डब्ल्यूटीओ ढांचे के भीतर व्यापार की पारंपरिक समझ के विपरीत, निवेश से सीमा पार व्यापार हो भी सकता है और नहीं भी।
- भारत के रुख के बावजूद, आर्थिक साहित्य व्यापार और निवेश के अंतर्संबंध पर जोर देता है, यह सुझाव देता है कि वे निकटता से जुड़े हुए हैं।
- **वैश्विक मूल्य श्रृंखला (जीवीसी):** लगभग **70% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वैश्विक मूल्य श्रृंखला के भीतर होता है** , जिसमें व्यापार और निवेश दोनों घटक शामिल होते हैं, जो उनकी परस्पर निर्भरता को उजागर करते हैं।
- आधुनिक व्यापार समझौते: कई समकालीन मुक्त व्यापार समझौते, जैसे आरसीईपी और ट्रांस-पैसिफ़िक पार्टनरशिप (सीपीटीपीपी) के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते में इस अंतर्संबंध को संबोधित करने के लिए निवेश पर विस्तृत प्रावधान शामिल हैं।
- भारत के व्यापार समझौते: दिलचस्प बात यह है कि **यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) के साथ भारत के हालिया व्यापार समझौते में निवेश पर प्रावधान भी शामिल हैं** , हालांकि मुख्य रूप से सुविधा और प्रचार उपायों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- भारत का कहना है कि डब्ल्यूटीओ ढांचे के भीतर निवेश पर बातचीत करने का कोई आदेश नहीं है।
- **डब्ल्यूटीओ की जनरल काउंसिल ने 2004 में निर्णय लिया** कि व्यापार और निवेश के बीच संबंधों पर बातचीत, जिसे **'सिंगापुर मुद्दे' के रूप में जाना जाता है** , दोहा दौर की वार्ता के हिस्से के रूप में नहीं होगी।
- **नैरोबी मंत्रिस्तरीय निर्णय** : 2015 डब्ल्यूटीओ नैरोबी मंत्रिस्तरीय निर्णय में यह शर्त लगाई गई कि नए मुद्दों पर बातचीत शुरू करने के लिए सभी सदस्यों की सर्वसम्मत सहमति की आवश्यकता होगी।
- भारत का तर्क है कि **चूंकि सभी डब्ल्यूटीओ सदस्य आईएफडी समझौते पर बातचीत शुरू करने के लिए सहमत नहीं थे** , इसलिए वार्ता और उसके बाद के पाठ को अवैध माना जाता है।
- नकारात्मक अधिदेश का दायरा: नकारात्मक अधिदेश को स्वीकार करते समय, यह सवाल उठता है कि क्या यह सुविधा सहित **निवेश के सभी पहलुओं को कवर करता है ।**

- **1996 सिंगापुर मंत्रिस्तरीय:** उन्होंने बाजार पहुंच और निवेश संरक्षण पर केंद्रित 1996 में प्रस्तावित निवेश समझौते को रद्द कर दिया, जिससे इस बात पर संदेह पैदा हो गया कि क्या नकारात्मक जनादेश डब्ल्यूटीओ के भीतर निवेश से संबंधित सभी मामलों को शामिल करता है।
- भारत सवाल करता है कि क्या नकारात्मक जनादेश बहुपक्षीय आधार पर शुरू की गई **वार्ता पर लागू होता है , जैसा कि आईएफडी समझौता वार्ता में था।**
- **आम सहमति की आवश्यकता :** जबकि डब्ल्यूटीओ समझौते का अनुच्छेद X.9 अनुबंध 4 में बहुपक्षीय समझौतों के मौजूदा सेट में एक समझौते को जोड़ने के लिए आम सहमति को अनिवार्य करता है, लेकिन बहुपक्षीय समझौते के लिए बातचीत शुरू करने के लिए आम सहमति की आवश्यकता नहीं है।
- **डब्ल्यूटीओ नियमों को अद्यतन करना:** डब्ल्यूटीओ को अंतरराष्ट्रीय व्यापार की उभरती प्रकृति को संबोधित करने के लिए मौजूदा नियमों को अद्यतन करने और नए नियम बनाने का काम सौंपा गया है।
- **निर्णय लेने में चुनौतियाँ:** डब्ल्यूटीओ की निर्णय लेने की प्रक्रिया को इसके सदस्यों के बीच आम सहमति प्राप्त करने में कठिनाइयों के कारण बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
- **बहुपक्षीय समझौतों का महत्व:** आईएफडी समझौते जैसे बहुपक्षीय समझौते डब्ल्यूटीओ के विधायी कार्य को पुनर्जीवित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो सर्वसम्मति की चुनौतियों के कारण रुका हुआ है।
- **भारत की भूमिका:** चूंकि भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, इसलिए उसे डब्ल्यूटीओ में प्रस्तावित आईएफडी समझौते जैसे बहुपक्षीय समझौतों के प्रति अपने रक्षात्मक रुख पर पुनर्विचार करना चाहिए।

चीन-ताइवान संघर्ष को रोकना (जीएस पेपर II:आईआर)

भारत को अपने हितों की पूर्ति के लिए सख्त नीतियां बनाने की जरूरत है

- भारत के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित हैं जो उसकी सीमाओं से दूर के क्षेत्रों तक फैले हुए हैं।
- ऐसा ही एक क्षेत्र जहां भारत के हित उलझे हुए हैं, वह है एशिया के सुदूर छोर पर स्थित ताइवान।

- चीन ताइवान पर संप्रभुता का दावा करता है और जरूरत पड़ने पर इस द्वीप पर जबरन कब्जा करने की तैयारी कर रहा है।
- अमेरिका ने चीनी आक्रामकता के खिलाफ ताइवान की रक्षा करने की अपनी इच्छा का संकेत दिया है।
- **भारत की आर्थिक और सुरक्षा चिंताओं के कारण ताइवान पर सैन्य संघर्ष में शामिल होने की संभावना नहीं है** ।
- इसके बजाय, **भारत मौजूदा स्थिति को बनाए रखना पसंद करता है, जहां ताइवान एक स्वशासित क्षेत्र बना हुआ है** ।
- इस यथास्थिति से भारत को आर्थिक रूप से लाभ होता है, क्योंकि भारत और ताइवान के बीच व्यापार में काफी वृद्धि हुई है।
- **भारत और ताइवान के बीच संभावित मुक्त व्यापार समझौते** को लेकर चर्चा चल रही है ।
- **पावरचिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन और टाटा ग्रुप** जैसी भारतीय और ताइवानी कंपनियों के बीच सहयोग आर्थिक संबंधों का प्रमाण है।
- **ताइवान जलडमरूमध्य में शांति बनाए रखना महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भरता और ताइवान में भारतीय श्रमिकों की उपस्थिति को** देखते हुए, यह भारत के हितों के अनुरूप है ।
- ताइवान के खिलाफ चीनी आक्रामकता के भारत पर गंभीर परिणाम होंगे।
- इससे चीन और ताइवान के साथ वैश्विक व्यापार बाधित होगा, जिससे एशिया और पश्चिम एशिया की अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित होंगी।
- ब्लूमबर्ग के एक अध्ययन से पता चलता है कि **ताइवान पर संघर्ष से वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 10% से अधिक खर्च हो सकता है** ।
- **भारत की अर्थव्यवस्था को अमेरिका से अधिक नुकसान होगा, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में** ।
- चीन और अमेरिका के बीच युद्ध से भारत-चीन सीमा पर तनाव बढ़ सकता है।
- यह चीन, अमेरिका और अन्य क्षेत्रीय देशों में औद्योगिक क्षमता को भी नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हो सकती है।

- **परमाणु तनाव बढ़ने का ख़तरा** है यदि संघर्ष तीव्र हो जाए।
- स्थिरता और राष्ट्रीय विकास पर ध्यान केंद्रित करने के कारण भारत ताइवान को लेकर संघर्ष में शामिल होने का जोखिम नहीं उठा सकता।
- ताइवान पर संघर्ष से भारत की दीर्घकालिक अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
- परिणाम के आधार पर, **इससे वैश्विक क्षेत्र में भारत की स्थिति खराब हो सकती है** ।
- **यदि चीन जीतता है, तो वह मौजूदा सुरक्षा ढांचे को कमजोर करते हुए क्षेत्र में प्रमुख सैन्य शक्ति बन सकता है** ।
- इससे अमेरिका की ओर से कम विश्वसनीय सुरक्षा गारंटी मिल सकती है, जिससे पड़ोसी देश खुद को हथियारबंद करने के लिए प्रेरित होंगे।
- चीन अपने प्रभाव का दावा करने के लिए साहस महसूस कर सकता है, जो संभावित रूप से हिंद महासागर जैसे क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है।
- अमेरिकी सहयोगी न होने के बावजूद **भारत सैन्य आधुनिकीकरण और स्थिर रणनीतिक माहौल के लिए अमेरिका पर निर्भर है ।**
- कुल मिलाकर, ताइवान पर संघर्ष में भारत के पास खोने के लिए बहुत कुछ है और उसे स्थिरता बनाए रखने में अपने दीर्घकालिक हितों पर विचार करना चाहिए।

भारत क्या कर सकता है

- भारत स्थिति के बारे में बीजिंग की धारणा को प्रभावित करके ताइवान पर संघर्ष को रोकने में भूमिका निभा सकता है।
- बीजिंग अंतरराष्ट्रीय कानून, आर्थिक उत्तोलन और राजनीतिक दबाव जैसे उपकरणों का उपयोग करके ताइवान मुद्दे को हल करने के लिए गैर-सैन्य तरीकों को प्राथमिकता देता है।
- भारत बीजिंग को यह समझाकर प्रतिरोध को मजबूत कर सकता है कि सैन्य कार्रवाई के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं ।
- इसे हासिल करने के लिए भारत के पास छह नीतिगत विकल्प हैं:
    1. अंतर्राष्ट्रीय कानून के तर्कों का उपयोग करना।
    2. आक्रामकता के विरुद्ध आख्यानों को बढ़ावा देना।
    3. राजनयिक संदेशों का समन्वय करना।
    4. आर्थिक जोखिम कम करने के उपाय लागू करना।
    5. ताइवान का समर्थन करने के लिए सक्रिय सूचना संचालन का संचालन करना।
    6. हिंद महासागर में अमेरिकी सेनाओं को सैन्य सहायता प्रदान करना।
- इन विकल्पों को महत्वाकांक्षा और राजनीतिक इच्छा के विभिन्न स्तरों के आधार पर समायोजित किया जा सकता है।
- अन्य देश भी ताइवान पर संघर्ष को रोकने में योगदान देने के लिए इन रणनीतियों को अपना सकते हैं और अपना सकते हैं।
- इन नीति विकल्पों को लागू करने से भारत की समग्र रणनीतिक स्थिति को लाभ हो सकता है।
- वे चीन के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा में भारत को अधिक लाभ प्रदान करेंगे।
- इन नीतियों के माध्यम से अमेरिका के साथ गहरा सहयोग भारत के राष्ट्रीय विकास को बढ़ा सकता है।
- ये उपाय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, विशेषकर वैश्विक दक्षिण देशों के बीच भारत की नेतृत्वकारी भूमिका को भी बढ़ा सकते हैं।
- ताइवान या अमेरिका का पक्ष लेने के बजाय भारतीय स्वार्थ से प्रेरित हैं

- हालाँकि वे चीनी प्रतिशोध को भड़का सकते हैं, भारत ने ऐसे परिणामों को सहन करने की तैयारी दिखाई है।
- इन नीतियों को लागू करने की लागत निष्क्रियता के जोखिमों से कहीं अधिक है।

ताइवान, आधिकारिक तौर पर चिन गणराज्य । यह उत्तर-पश्चिमी प्रशांत महासागर में पूर्व और दक्षिण चीन सागर के जंक्शन पर स्थित है, जिसके उत्तर-पश्चिम में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी), उत्तर-पूर्व में जापान और दक्षिण में फिलीपींस है।

भूगोल

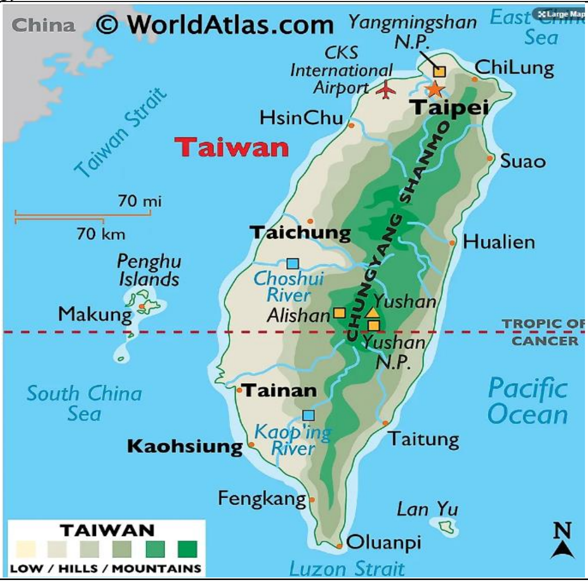

- **स्थान:** पूर्वी एशिया, मुख्य भूमि चीन के दक्षिणपूर्वी तट से दूर द्वीपों का द्वीपसमूह।
- **निर्देशांक** 23°30′N 121°00′E
- **क्षेत्रफल:** 36,193 किमी2 (मैरीलैंड, यूएसए से थोड़ा छोटा)
- **मुख्य द्वीप:** ताइवान द्वीप (जिसे पहले फॉर्मोसा के नाम से जाना जाता था) 99% क्षेत्र बनाता है।
- **भू-भाग:** पूर्व में अधिकतर पहाड़ी, पश्चिम में धीरे-धीरे लुढ़कने वाले मैदान।

जनसांख्यिकी

- **जनसंख्या:** लगभग 23.5 मिलियन
- **राजधानी:** ताइपे शहर
- **सबसे बड़े शहर:** ताइपे, न्यू ताइपे शहर, ताइचुंग, काऊशुंग
- **जातीय समूह:** मुख्य रूप से **हान चीनी** , एक महत्वपूर्ण स्वदेशी आबादी के साथ।

सरकार

- **राजनीतिक व्यवस्था:** अर्ध-राष्ट्रपति प्रतिनिधि लोकतांत्रिक गणराज्य
- **राष्ट्रपति:** त्साई इंग-वेन
- **विधानमंडल:** एकसदनीय विधायी युआन

अर्थव्यवस्था

- **अत्यधिक विकसित अर्थव्यवस्था:** इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और पेट्रोकेमिकल्स का प्रमुख वैश्विक आपूर्तिकर्ता।
- **प्रमुख उद्योग:** सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, रसायन, कपड़ा।
- **मुद्रा:** न्यू ताइवान डॉलर (TWD)

संस्कृति

- **प्रभावों का समृद्ध मिश्रण:** चीनी परंपराएँ, स्वदेशी संस्कृतियाँ, जापानी प्रभाव और आधुनिक वैश्वीकरण।
- **भाषाएँ:** मंदारिन चीनी (आधिकारिक), ताइवानी होकियेन , हक्का और स्वदेशी भाषाएँ।
- **इनके लिए प्रसिद्ध:** रात्रि बाज़ार, स्वादिष्ट व्यंजन, प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक मंदिर और तकनीकी नवाचार।

तेलंगाना की राजकोषीय चुनौती (जीएस पेपर III: राजकोषीय घाटा)

सरकार को अपनी छह गारंटी को पूरा करने में कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है

- तेलंगाना सरकार को **छह गारंटी को पूरा करना चुनौतीपूर्ण लग रहा है** सत्ता में आने से पहले कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था।
- **राजस्व प्राप्तियों में धीमी वृद्धि** के कारण उत्पन्न होती है ।
- सरकार को वेतन, पेंशन और ब्याज का भुगतान जैसे अपने तात्कालिक दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाने में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा जारी अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, राजस्व प्राप्तियों का लगभग आधा हिस्सा अकेले इन उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा रहा है।
- यह उस वित्तीय स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है जिससे सरकार जूझ रही है।
- बजट अनुमान के अनुसार चालू वित्त वर्ष के लिए अनुमानित कर राजस्व ₹1.52 लाख करोड़ है।
- वेतन/मजदूरी, पेंशन और ब्याज भुगतान पर व्यय राशि ₹74,058 करोड़ है।
- इसके अतिरिक्त, सब्सिडी कुल ₹12,958 करोड़ है।
- फरवरी तक, राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियाँ ₹1.51 लाख करोड़ तक पहुँच गईं, जो बजट अनुमान का 70.16% है।
- वित्तीय वर्ष में केवल एक महीना बचा है, ऐसे में बजटीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करना चुनौतीपूर्ण है।
- सरकार के सामने विधानसभा चुनाव से पहले वादा की गई छह गारंटियों को लागू करने का कठिन काम है।
- इन गारंटियों में **महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा** , वाईएसआर आरोग्य श्री के तहत स्वास्थ्य कवरेज में वृद्धि, **₹500 पर एलपीजी सिलेंडर प्रदान करना** , **गृह ज्योति योजना के तहत 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली की** पेशकश , **इंदिराम्मा योजना के तहत गरीबों को घर प्रदान करना** और **एक की पेशकश शामिल है। महिलाओं के लिए भरण-पोषण भत्ता** .
- राज्य ने **मुफ्त बस यात्रा के कार्यान्वयन की शुरुआत की है, जिसके लिए राज्य सड़क परिवहन निगम को मासिक ₹300 करोड़ से अधिक की प्रतिपूर्ति की आवश्यकता है** ।
- स्वास्थ्य कवरेज सीमा में निरंतर वृद्धि हो रही है।
- 2024-25 के लिए ₹2.75 लाख करोड़ के वोट-ऑन-अकाउंट बजट में, छह गारंटी को लागू करने के लिए ₹53,196 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
- बजट में कोई कर या शुल्क बढ़ोतरी पेश नहीं की गई।
- आगामी वित्तीय वर्ष के लिए गृह ज्योति योजना के लिए ₹2,418 करोड़ का प्रावधान किया गया ।
- इससे ट्रांसको और वितरण कंपनियों के लिए कुल आवंटन ₹16,825 करोड़ हो गया है, जो किसानों को 24X7 मुफ्त बिजली आपूर्ति प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
- इंदिराम्मा आवास योजना के लिए ₹7,740 करोड़ आवंटित किए गए थे, जिसमें राज्य के 119 विधानसभा क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए 3,500 घर स्वीकृत थे।
- छह गारंटियों को लागू करने का वास्तविक वित्तीय बोझ अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है।
- पूरा करने की सरकार की मंशा स्पष्ट है, लेकिन कई वर्षों से बजट अनुमानों और वास्तविक आंकड़ों के बीच विसंगतियों के कारण चिंताएं हैं।

- फरवरी के अंत तक, कुल राजस्व प्राप्तियाँ ₹1.51 लाख करोड़ थी, जो 2023-24 के लिए अनुमानित ₹2.16 लाख करोड़ से कम थी।
- **उधार और अन्य देनदारियाँ ₹41,448 करोड़ थीं, जो घाटे को कवर करने के लिए बाहरी स्रोतों पर निर्भरता का संकेत देती हैं** ।
- केंद्र सरकार से सहायता अनुदान और योगदान में भी कमी है। इस श्रेणी के तहत अनुमानित राजस्व ₹41,259 करोड़ था, लेकिन फरवरी के अंत तक केवल ₹6,955 करोड़ की वसूली हुई।
- तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने चालू वित्त वर्ष के लिए बजट अनुमान और वास्तविक आंकड़ों के बीच ₹70,000 करोड़ तक के महत्वपूर्ण अंतर को स्वीकार किया।
- यह दावा फरवरी के अंत तक देखे गए बजट अनुमानों और वास्तविक आंकड़ों के बीच पर्याप्त अंतर से समर्थित है।
- केंद्रीय **वित्त मंत्रालय ने वित्तीय प्रबंधन संबंधी चिंताओं के कारण राज्य के बाजार उधार पर प्रतिबंध लगा दिया** ।
- हालाँकि, जनवरी में मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी, उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क , प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बीच बैठकों के बाद इन प्रतिबंधों में आंशिक रूप से ढील दी गई थी।

- **तेलंगाना राज्य को केवल उत्पाद शुल्क और भूमि पार्सल बेचने से प्राप्त राजस्व पर निर्भर रहने के बजाय अपने संसाधनों को बढ़ाने के लिए नए तरीके खोजने की जरूरत है** ।
- **इसे उन क्षेत्रों पर भी ध्यान देना चाहिए जहां राजस्व में रिसाव या हानि हो रही है** ।
- ये लीक सरकारी राजस्व पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं और तेलंगाना को वित्तीय चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने में मदद करने के लिए इसका समाधान किया जाना चाहिए।

टिकाऊ इमारत (जीएस पेपर III: पर्यावरण)

- भारत का निर्माण क्षेत्र तेजी से विकास का अनुभव कर रहा है, **सालाना 3,00,000 से अधिक आवास इकाइयाँ बन रही हैं** , जो आर्थिक लाभ के साथ-साथ पर्यावरणीय चुनौतियाँ भी लाती हैं।
- भवन निर्माण क्षेत्र बड़ी मात्रा में ऊर्जा की खपत करता है, जो भारत के बिजली उपयोग का 33% से अधिक हिस्सा है, जो पर्यावरणीय गिरावट और जलवायु परिवर्तन में योगदान देता है।
- इंडिया **कूलिंग एक्शन प्लान के अनुसार, 2017 और 2037 के बीच कूलिंग की मांग में आठ गुना वृद्धि** होने का अनुमान है , जो थर्मल आराम सुनिश्चित करते हुए सक्रिय कूलिंग मांग को कम करने के महत्व पर प्रकाश डालता है।

निर्माण क्षेत्र ऊर्जा कुशल कैसे बन सकता है?

- निर्माण क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए, आर्थिक विकास, शहरीकरण, ताप द्वीप और जलवायु परिवर्तन जैसे कारकों के कारण **आवासीय भवनों में अक्षमताओं को दूर करना महत्वपूर्ण है ।**
- **इको-निवास संहिता (ईएनएस) और आवासीय ऊर्जा संरक्षण भवन कोड** जैसी पहल का उद्देश्य आवासीय भवनों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना है।
- ईएनएस **आवासीय लिफाफा ट्रांसमिशन वैल्यू (आरईटीवी) मीट्रिक पेश करता है** , जो **इमारत के लिफाफे के माध्यम से गर्मी हस्तांतरण को मापता है** । कम आरईटीवी मूल्यों के परिणामस्वरूप इनडोर वातावरण ठंडा होता है और ऊर्जा का उपयोग कम होता है।

- इष्टतम दक्षता, बेहतर रहने वाले आराम और कम उपयोगिता व्यय के लिए 15W/m2 या उससे कम का RETV बनाए रखने की अनुशंसा की जाती है।
- हालाँकि, **वर्तमान निर्माण रुझान सक्रिय शीतलन रणनीतियों के साथ तेज गति वाली, ऊर्जा-गहन तकनीकों को प्राथमिकता देते हैं, जो अक्सर थर्मल आराम से समझौता करते हैं** ।
- कथित उच्च प्रारंभिक लागत के बावजूद, जलवायु-अनुकूल इमारतों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए जलवायु-उपयुक्त डिजाइन और वास्तुकला के बारे में व्यापक जागरूकता की आवश्यकता है।

कौन सी सामग्रियां इष्टतम हैं?

- भारत में चार गर्म जलवायु वाले शहरों में किए गए विश्लेषण में **ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट (एएसी) ब्लॉक** , **लाल ईंटें, फ्लाई ऐश और मोनोलिथिक कंक्रीट (मिवान) सहित लोकप्रिय निर्माण सामग्री की पहचान की गई** ।
- **स्थिरता संबंधी चिंताओं के बावजूद, विशेष रूप से ऊंची इमारतों और गगनचुंबी इमारतों में इसकी गति, ताकत, गुणवत्ता और मापनीयता के कारण डेवलपर्स द्वारा अखंड कंक्रीट निर्माण को प्राथमिकता दी गई** ।
- **60%** से अधिक इमारतों ने मोनोलिथिक कंक्रीट का विकल्प चुना।
- आरईटीवी मूल्यांकन से पता चला कि एएसी ब्लॉक में लगातार **सभी जलवायु परिस्थितियों में सबसे कम आरईटीवी था** , जो **थर्मली कुशल सामग्री के रूप में उनकी क्षमता को दर्शाता है** ।
- साहित्य समीक्षा में निर्माण सामग्री के बीच सन्निहित ऊर्जा (विनिर्माण से जुड़ी ऊर्जा) में पर्याप्त अंतर का पता चला, जिसमें मोनोलिथिक कंक्रीट में एएसी की तुलना में 75 गुना अधिक सन्निहित ऊर्जा होती है।
- 100 वर्ग फुट की दीवार क्षेत्र के लिए लाल ईंटों के निर्माण में सबसे लंबे समय की आवश्यकता होती है, जबकि मिवान निर्माण के लिए सबसे कम समय की आवश्यकता होती है, जो तेजी से निर्माण की पेशकश करता है, खासकर ऊंची संरचनाओं के लिए।
- लाल ईंटों, एएसी ब्लॉकों और मोनोलिथिक कंक्रीट सहित विभिन्न निर्माण सामग्रियों में स्थिरता संबंधी चिंताएँ मौजूद हैं।
- लाल ईंटों में मध्यम सन्निहित ऊर्जा होती है, जो संसाधनों की कमी, उत्सर्जन और बर्बादी में योगदान करती है।
- एएसी ब्लॉकों में लाल ईंटों की तुलना में कम ऊर्जा होती है लेकिन फिर भी वे उत्सर्जन और बर्बादी में योगदान करते हैं।
- **मोनोलिथिक कंक्रीट, इसके त्वरित निर्माण समय के बावजूद, उच्चतम सन्निहित ऊर्जा, महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव** और स्थिरता संबंधी चुनौतियाँ हैं।
- **एएसी ब्लॉक लाल ईंटों और अखंड कंक्रीट की तुलना में सन्निहित ऊर्जा और निर्माण समय के बीच बेहतर संतुलन प्रदान करते हैं** ।

आगे क्या?

- भारत में नवीन निर्माण सामग्री की अप्रयुक्त क्षमता है, जिसके लिए स्थिरता विशेषज्ञों के साथ अंतःविषय सहयोग की आवश्यकता है।
- **अनुकूलित बिल्डिंग ओरिएंटेशन, विंडो वॉल रेशियो (डब्ल्यूडब्ल्यूआर), और बेहतर यू-वैल्यू जैसी** रणनीतियाँ एक टिकाऊ निर्मित वातावरण में योगदान कर सकती हैं।
- मिवान के लिए निर्माण उद्योग की प्राथमिकता उच्च सन्निहित कार्बन और थर्मल असुविधा के कारण स्थिरता संबंधी चिंताओं को बढ़ाती है।

- टिकाऊ निर्माण के लिए **लागत प्रभावी, टिकाऊ और जलवायु-लचीला समाधान विकसित करने के लिए निर्माताओं से नवाचार की आवश्यकता होती है** ।
- पर्यावरणीय लक्ष्यों के अनुरूप लचीली और ऊर्जा-कुशल संरचनाएं बनाने के लिए निर्माण डिजाइन की फिर से कल्पना करना और स्थिरता की संस्कृति को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है।

रोहिंग्या शरणार्थी (जीएस पेपर II: आईआर)

- हाल ही में इंडोनेशियाई तट के पास एक पलटी हुई नाव से रोहिंग्या शरणार्थियों के बचाव ने उनकी निराशाजनक दुर्दशा को उजागर किया है।
- **बेहतर जीवन की तलाश में रोहिंग्या शरणार्थी तेजी से खतरनाक समुद्री यात्राएं कर रहे हैं** ।
- के अनुसार , **पिछले साल 4,500 से अधिक रोहिंग्या शरणार्थी बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में जोखिम भरी यात्रा पर निकले थे** ।
- दुखद बात यह है कि इन खतरनाक यात्राओं के दौरान **569 लोगों ने अपनी जान गंवाई** या लापता हो गए, जो 2014 के बाद से मरने वालों की सबसे अधिक संख्या है।

रोहिंग्या शरणार्थी कौन हैं?

- रोहिंग्या एक मुस्लिम अल्पसंख्यक जातीय समूह है जो म्यांमार (पूर्व में बर्मा) **के अराकान साम्राज्य से उत्पन्न हुआ है।**
- वे सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से म्यांमार की बहुसंख्यक बौद्ध आबादी से अलग हैं।
- का दावा करने के बावजूद **, लगातार सरकारों ने उन्हें बांग्लादेश से अवैध अप्रवासी के रूप में लेबल किया है** ।
- म्यांमार ने **1982 से उन्हें नागरिकता देने से इनकार कर दिया है** , जिससे वे **मौलिक अधिकारों या सुरक्षा के बिना दुनिया की सबसे बड़ी राज्यविहीन आबादी बन गए हैं** ।
- रोहिंग्या का सबसे बड़ा पलायन अगस्त 2017 में हुआ जब रखाइन में हिंसा भड़क उठी, जिससे **750,000 से अधिक लोगों को बांग्लादेश में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा** ।
- हिंसा के कारण बड़े पैमाने पर गाँवों का विनाश हुआ, परिवारों का अलगाव हुआ और गंभीर मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ, जिसके कारण संयुक्त **राष्ट्र ने इसे "जातीय सफाया" के रूप में वर्णित किया।**
- एक **तथ्य-खोज आयोग ने म्यांमार सरकार पर** रोहिंग्या के खिलाफ "नरसंहार" का इरादा रखने का आरोप लगाया।

समुद्री यात्रा क्यों?

- 1990 के दशक से दस लाख से अधिक रोहिंग्या के म्यांमार से भाग जाने के बावजूद, लगभग 600,000 लोग देश में रह गए हैं, मुख्य रूप से प्रतिबंधित आंदोलनों और आजीविका के साथ आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के शिविरों में।
- लगभग 960,000 रोहिंग्या बांग्लादेश में शरणार्थी शिविरों में रहते हैं, विशेष रूप से **कॉक्स बाजार में म्यांमार सीमा के पास** , जो दुनिया के कुछ सबसे बड़े और सबसे घनी आबादी वाले शरणार्थी शिविरों की मेजबानी करता है।
- इन भीड़भाड़ वाले शिविरों में स्थितियाँ गंभीर हैं, जिनमें भोजन, पानी, स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसी बुनियादी आवश्यकताओं का अभाव है।

- **गिरोह की हिंसा और आगजनी के हमलों** के कारण शिविरों में सुरक्षा खराब हो गई है , जिसके परिणामस्वरूप 2023 में झड़पों में **60 से अधिक रोहिंग्या की मौत हो गई ।**
- **म्यांमार लौटने का विकल्प लगभग असंभव और बांग्लादेशी राहत शिविरों में बिगड़ती स्थितियों के कारण, अधिक रोहिंग्या बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के पार इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे मुस्लिम-बहुल देशों की खतरनाक समुद्री यात्राएं कर रहे हैं** ।
- मानव तस्कर उनकी हताशा का फायदा उठाते हैं, उन्हें असुरक्षित नावों पर ले जाने के लिए अत्यधिक शुल्क लेते हैं, जिससे अक्सर महिलाओं के खिलाफ हिंसा सहित भयावह दुर्व्यवहार होता है।

बढ़ती मौत के आंकड़े के बारे में क्या कहना?

- संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि **समुद्री मार्ग का प्रयास करने वाले आठ में से एक रोहिंग्या मर जाता है या गायब हो जाता है** , जिससे यह विश्व स्तर पर पानी के सबसे घातक हिस्सों में से एक बन जाता है।
- पिछले वर्ष समुद्री यात्रा पर जाने वाले लोगों की संख्या में 21% की वृद्धि देखी गई, 2022 की तुलना में मृत्यु या लापता होने में 63% की वृद्धि हुई।
- समुद्र के रास्ते इंडोनेशिया में रोहिंग्या के आगमन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, 2021 और 2023 के बीच 1,261% की वृद्धि हुई है।
- यूएनएचसीआर के आंकड़ों के अनुसार, जबकि अधिकांश शरणार्थी नावें इंडोनेशिया में खड़ी थीं, उसी अवधि में 83 व्यक्तियों को लेकर केवल एक नाव मलेशिया पहुंची।

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1: निम्नलिखित सेवाओं पर विचार करें:

1. शिक्षा
2. सैन्य प्रशिक्षण
3. स्वास्थ्य देखभाल
4. सामाजिक सेवाएं

उपरोक्त में से कितनी UNRWA द्वारा प्रदान की जाने वाली मुख्य सेवा है/हैं?

a. केवल एक
b. सिर्फ दो
c. केवल तीन
d. चारों

प्रश्न 2: यूएनआरडब्ल्यूए के वित्तपोषण का प्राथमिक स्रोत है:

a. (ए) संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से अनिवार्य योगदान
b. (बी) बहुराष्ट्रीय निगमों से निजी दान
c. (सी) संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से स्वैच्छिक योगदान
d. (डी) अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के माध्यम से उत्पन्न राजस्व

प्रश्न 3: यूएनआरडब्ल्यूए के अधिदेश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसमें फ़िलिस्तीनी शरणार्थी मुद्दे का टिकाऊ समाधान उपलब्ध कराना शामिल है।
2. यह विशेष रूप से मानवीय और विकास सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

a. (ए) केवल 1
b. (बी) केवल 2

c. (सी) 1 और 2 दोनों d. (डी) न तो 1 और न ही 2
प्रश्न 4: निषेधाज्ञा जारी करने के कारणों को दर्ज करने वाली अदालतों की प्रथा मुख्य रूप से निम्नलिखित के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए है: a. (ए) प्राकृतिक न्याय b. (बी) शक्तियों का पृथक्करण c. (सी) निजता का मौलिक अधिकार d. (डी) संसद की संप्रभुता
प्रश्न 5: विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. डब्ल्यूटीओ के तत्वावधान में किए गए बहुपक्षीय व्यापार समझौतों का सभी सदस्यों द्वारा पालन किया जाना चाहिए। 2. बहुपक्षीय समझौते डब्ल्यूटीओ सदस्यों के लिए वैकल्पिक हैं और केवल उन लोगों को कवर करते हैं जिन्होंने स्पष्ट रूप से हस्ताक्षर किए हैं। उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं? a. (ए) केवल 1 b. (बी) केवल 2 c. (सी) 1 और 2 दोनों d. (डी) न तो 1 और न ही 2
प्रश्न 6: विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के संदर्भ में, 'बहुपक्षीय समझौता' शब्द का तात्पर्य है: a. (ए) समझौते केवल विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों के देशों तक ही सीमित हैं। b. (बी) ऐसे समझौते जिन पर सभी डब्ल्यूटीओ सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति के आधार पर बातचीत की जाती है। c. (सी) विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्यों के एक उपसमूह के बीच व्यापार समझौते। d. (डी) डब्ल्यूटीओ ढांचे के भीतर बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित समझौते।
प्रश्न 7: डब्ल्यूटीओ ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन सा समझौता बहुपक्षीय समझौते का एक उदाहरण है? a. (ए) बौद्धिक संपदा अधिकार (ट्रिप्स) के व्यापार-संबंधित पहलुओं पर समझौता b. (बी) कृषि पर समझौता (एओए) c. (सी) सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता (जीएटीएस) d. (डी) सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (आईटीए)

प्रशन	**स्पष्टीकरण**
प्रश्न 1: निम्नलिखित सेवाओं पर विचार करें: 1. शिक्षा 2. सैन्य प्रशिक्षण 3. स्वास्थ्य देखभाल 4. सामाजिक सेवाएं	उत्तर: (सी) स्पष्टीकरण: यूएनआरडब्ल्यूए की भूमिका पूरी तरह से मानवीय है और विकास पर केंद्रित है। यह व्यक्तियों के सैन्य प्रशिक्षण से संबंधित किसी भी गतिविधि में संलग्न नहीं है।

उपरोक्त में से कितनी UNRWA द्वारा प्रदान की जाने वाली मुख्य सेवा है/हैं? a. केवल एक b. सिर्फ दो c. केवल तीन d. चारों	
प्रश्न 2: यूएनआरडब्ल्यूए के वित्तपोषण का प्राथमिक स्रोत है: a. (ए) संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से अनिवार्य योगदान b. (बी) बहुराष्ट्रीय निगमों से निजी दान c. (सी) संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से स्वैच्छिक योगदान d. (डी) अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के माध्यम से उत्पन्न राजस्व	उत्तर: सी स्पष्टीकरण: UNRWA संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न सदस्य देशों से मिलने वाले दान पर बहुत अधिक निर्भर करता है। ये योगदान स्वैच्छिक हैं और इनमें उतार-चढ़ाव हो सकता है, जिससे इसके संचालन में संभावित चुनौतियाँ पैदा हो सकती हैं।
प्रश्न 3: यूएनआरडब्ल्यूए के अधिदेश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. इसमें फ़िलिस्तीनी शरणार्थी मुद्दे का टिकाऊ समाधान उपलब्ध कराना शामिल है। 2. यह विशेष रूप से मानवीय और विकास सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है। उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं? a. (ए) केवल 1 b. (बी) केवल 2 c. (सी) 1 और 2 दोनों d. (डी) न तो 1 और न ही 2	उत्तर: बी स्पष्टीकरण: UNRWA का अधिदेश फ़िलिस्तीनी शरणार्थियों को आवश्यक सेवाएँ और सहायता प्रदान करने तक सीमित है। इसके पास टिकाऊ समाधान के लिए आवश्यक राजनीतिक वार्ता में शामिल होने का अधिकार या जनादेश नहीं है
प्रश्न 4: निषेधाज्ञा जारी करने के कारणों को दर्ज करने वाली अदालतों की प्रथा मुख्य रूप से निम्नलिखित के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए है: a. (ए) प्राकृतिक न्याय b. (बी) शक्तियों का पृथक्करण c. (सी) निजता का मौलिक अधिकार d. (डी) संसद की संप्रभुता	उत्तर: (ए) प्राकृतिक न्याय स्पष्टीकरण: प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की आवश्यकता है कि महत्वपूर्ण प्रभाव वाले निर्णय तर्कसंगत और पारदर्शी होने चाहिए। निषेधाज्ञा के कारणों को रिकॉर्ड करने से संभावित जांच और अपील की अनुमति मिलती है, जिससे न्यायिक प्रणाली में निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है।
प्रश्न 5: विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. डब्ल्यूटीओ के तत्वावधान में किए गए बहुपक्षीय व्यापार समझौतों का सभी सदस्यों द्वारा पालन किया जाना चाहिए। 2. बहुपक्षीय समझौते डब्ल्यूटीओ सदस्यों के लिए वैकल्पिक हैं और केवल उन लोगों को	उत्तर: (बी) केवल 2 स्पष्टीकरण: कथन 1 ग़लत है। बहुपक्षीय डब्ल्यूटीओ समझौते सभी सदस्यों पर बाध्यकारी हैं। यह डब्ल्यूटीओ प्रणाली का एक मूल सिद्धांत है। कथन 2 सही है. बहुपक्षीय समझौते (पीए) डब्ल्यूटीओ के तहत एक विशिष्ट भत्ता हैं। इनमें संपूर्ण नहीं, बल्कि सदस्यों का एक उपसमूह शामिल होता है और ये वैकल्पिक होते हैं।

कवर करते हैं जिन्होंने स्पष्ट रूप से हस्ताक्षर किए हैं। उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं? a. (ए) केवल 1 b. (बी) केवल 2 c. (सी) 1 और 2 दोनों d. (डी) न तो 1 और न ही 2	
प्रश्न 6: विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के संदर्भ में, 'बहुपक्षीय समझौता' शब्द का तात्पर्य है: a. (ए) समझौते केवल विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों के देशों तक ही सीमित हैं। b. (बी) ऐसे समझौते जिन पर सभी डब्ल्यूटीओ सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति के आधार पर बातचीत की जाती है। c. (सी) विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्यों के एक उपसमूह के बीच व्यापार समझौते। d. (डी) डब्ल्यूटीओ ढांचे के भीतर बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित समझौते।	उत्तर: (सी) विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्यों के एक उपसमूह के बीच व्यापार समझौते। बहुपक्षीय समझौते भौगोलिक दृष्टि से प्रतिबंधित नहीं हैं। जबकि बहुपक्षीय डब्ल्यूटीओ समझौते आम सहमति पर चलते हैं, बहुपक्षीय समझौतों को संपूर्ण सदस्यता से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। बौद्धिक संपदा अधिकार (ट्रिप्स) बहुपक्षीय डब्ल्यूटीओ समझौते का एक उदाहरण है, बहुपक्षीय नहीं।
प्रश्न 7: डब्ल्यूटीओ ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन सा समझौता बहुपक्षीय समझौते का एक उदाहरण है? a. (ए) बौद्धिक संपदा अधिकार (ट्रिप्स) के व्यापार-संबंधित पहलुओं पर समझौता b. (बी) कृषि पर समझौता (एओए) c. (सी) सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता (जीएटीएस) d. (डी) सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (आईटीए)	उत्तर: (डी) सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (आईटीए) ट्रिप्स, एओए और जीएटीएस बहुपक्षीय समझौते हैं जो सभी डब्ल्यूटीओ सदस्यों पर बाध्यकारी हैं। आईटीए एक बहुपक्षीय समझौता है जो विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों पर टैरिफ को खत्म करने पर केंद्रित है। केवल वे सदस्य जो इस पर हस्ताक्षर करते हैं वे इसकी शर्तों से बंधे हैं।